न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 61/2017

1. श्री गणेशदास पुत्र जमनादास जाति साधु निवासी खरवड तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

– वादीगण

बनाम

1. श्री भागचंद पुत्र मांगीलाल।
2. श्री रामधन पुत्र मांगीलाल।
3. श्री प्रहलाद पुत्र मांगीलाल।
4. नामालूम पत्नी मांगीलाल।
   समस्त जाति जाट निवासीगण खरवड तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

– प्रतिवादीगण

वकील 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल-वादी।

निर्णय अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.01.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खरवड में नया खाता सं. 152 का ख. नं. 66 कुल रकबा 4–18–00 बीघा किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। जिसमें जमाबंदी में मांगीलाल, कालूराम पीसरान मनीराम 1/3 हिस्सा ऋषी कुमार पुत्र मांगीलाल व बालू पुत्र कालूराम का 1/3 हिस्सा व वादी गणेशदास का भी 1/3 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है। यह कि सह खातेदार मांगीलाल की मृत्यु करीब एक वर्ष पूर्व हो चुकी है प्रतिवादीगण मांगीलाल के वारिसान है। यह कि प्रतिवादीगण की नियत बद है उक्त भूमि के वादी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में अनाधिकार दिनांक 03.07.2017 से जबरन बाधा दे रहे है। वादी को एलानियां धमकी दे रहे कि उक्त आराजीयात को हमे बेचान कर दो वरना तेरी फसल को नष्ट कर देगें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो वादी को अपूर्तियुक्त क्षति होगी। यह कि वादीगण का प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण या उनके मित्र, नोकर, एजेन्ट हस्तान्तरिति आदि को वादी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या दखलदांजी नहीं करे तथा ना ही उक्त भूमि में अनाधिकार प्रवेश करे।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खरवड़ संवत् 2055–2058
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खरवड़ संवत् 2069–2088

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा साक्ष्य वादी में शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया। जमाबंदी संवत् 2055–2058 में विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि वादी के 1/3 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। परंतु वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से बंटवारा नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा हेतु कोई निवेदन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए में प्रस्तुत किया है। वादी ने काश्तकारी अधिनियम धारा 53 में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया तथा वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा नहीं होने से विवादित आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक का खातेदार का हक व अधिकार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त उपभोग में बाधा या दखलदाजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर निर्णित में गणना की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner